



राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: -प.17(8)/परि/2020

जयपुर दिनांक 24.03-2022

स्वीकृति आदेश संख्या 18/2021-22

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को निःशुल्क/रियायती यात्रा के बजट मद 3055-00-190-(12)-[01] उपमद 12 सहायतार्थ अनुदान में उपलब्ध बजट प्रावधान राशि रु. 28,65,93,039/- रुपये (अक्षरे अटार्इस करोड, पैंसठ लाख, तिरानवे हजार, उनतालिस रुपये मात्र) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पी.डी.खाते में निम्नानुसार हस्तान्तरित/समायोजन करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

बजट मद जिससे राशि आहरित की जायेगी	राशि	बजट मद जिससे राशि जमा की जायेगी	राशि
3055-00-190-(12)-[01] उपमद 12 सहायतार्थ अनुदान	28,65,93,039.00	8443-106 RSRTC का P.D. खाता संख्या 3821	21,81,46,639.00
		(I) 0041-00-102(09)-01 (यात्री वाहन कर)	6,44,20,141.00
		(II) 0041-00-102(09)-02	40,26,259.00
योग	28,65,93,039.00	योग	28,65,93,039.00

(अक्षरे अटार्इस करोड, पैंसठ लाख, तिरानवे हजार, उनतालिस रुपये मात्र)

उपरोक्त स्वीकृति राशि के उपयोग का उपयोजन प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण, अनुपयोगी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाने की शर्त पर जारी की जा रही है।

यह प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 102201510, 162200450, 162200451 व 102201254 दिनांक 23.03.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

(सोहनलाल मीना)

शासन उप सचिव, परिवहन

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- माननीय राज्यमंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
- महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
- निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार राशि 28,65,93,039/-रुपये (अक्षरे अटार्इस करोड, पैंसठ लाख, तिरानवे हजार, उनतालिस रुपये मात्र) का उपरोक्तानुसार समायोजन/हस्तान्तरित करने का श्रम करावें। साथ ही इस बजट मद में पूर्व में जारी की गयी राशि रुपये 222634.08 लाख का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु राशि जारी की गयी थी उसी प्रयोजनार्थ उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा अनुपयोगी राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
- निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
- कोषाधिकारी, सचिवालय कोषकार्यालय, जयपुर।
- नोडल अधिकारी वैंबसाईट, परिवहन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैंबसाईट पर अपलोड करावें।
- रक्षित पत्रावली।

24-03-2022

शासन उप सचिव, परिवहन